पश्चिम मध्य रेलवे

सं. पमरे / का.माडिमका / पु.नि.यो. / से.नि. / 947 भाग–2

कार्यालय, मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा
दिनांक :– 21/11/2018

अधिसूचना

विषयः-- सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को **Monthly remuneration** के आधार पर रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने हेतु।

संदर्भः-- 1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG) II/2010/RC-4/6 दिनांक 27/09/2012 एवं 07/10/2016 तथा पत्र सं. E(NG)II/2007/RC-4/Core/1(RBE No. 150/2017 दिनांक 16/10/2017 तथा (RBE No. 193/2017 दिनांक 12/12/2017

2. मुख्यालय जबलपुर का पत्र सं. पमरे / का.मुख्या. / रूलिंग / सेवानिवृत कर्मचारी पुनर्नियोजन दिनांक 05/01/2017 एवं 18/01/2017.

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को **Monthly remuneration** के आधार पर रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने हेतु रेलवे बोर्ड के संलग्न पत्रों में दिये गये दिशा निर्देशानुसार उद्धित है :--

1. सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने के आवेदन विभिन्न कोटियों में स्वीकार किये जायेंगे तथा बिना कोई नोटिस दिये पुनः नियुक्ति का प्रावधान समाप्त करने का अधिकार प्रशासन के पास होगा।
2. पुनर्नियोजित हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
3. पुनर्नियोजन पर वेतन मासिक आधार पर भुगतान निम्न प्रकार होगा :–

   Monthly remuneration of retird employee being re-engaged be determined by reducing pension from his/her last pay drawn i.e. **(Basic pay + D.A.)**

   पुनर्नियोजन मासिक वेतन = अन्तिम मूल वेतन + डी.ए.–पेंशन
4. सेफ्टी रिलेटेड रिटायर्डमेन्ट स्कीम / लिबरेलाईज एक्टिव रिटार्यमेन्ट स्कीम के तहत सेवा निवृत कर्मचारी पुनर्नियोजन के लिए पात्र नहीं होगें।
5. पुनर्नियोजन हेतु चयनित उम्मीदवार को चिकित्सा जॉच हेतु भेजा जायेगा तथा चयनित उममीदवारों की साक्षात्कार करने से पूर्व संरक्षा बाबत् उचित मापदण्डों / योग्यता की जॉच की जायेगी।
6. रेलवे भर्ती बोर्ड से उपर्युक्त अभ्यार्थी मिलने पर पुनर्नियोजित कर्मचारी की सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

जारी...2.

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :–

1. संबंधित शाखा अधिकारी द्वारा अधिकतम संख्या जो कि पुनर्नियोजित की जानी है, निर्धारित करेगा तथा इस पर वित्त विभाग की समीक्षा उपरान्त मुख्य कारखाना प्रबन्धक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, संबंधित कारखाना में संवर्ग विशेष की स्वीकृत संख्या, नियमित एवं पुनर्नियोजिन कर्मचारियों को जोड़ कर उससे अधिक नहीं होगी।
2. मुख्य कारखाना प्रबन्धक महोदय द्वारा नामित कार्मिक अधिकारी तथा संबंधित विभाग के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों को रेलवे बोर्ड द्वारा उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर जॉच कर उप मुख्य यॉत्रिक इंजीनियर को प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित उप मुख्य यॉत्रिक इंजीनियर की अनुशंसा पर मुख्य कारखाना प्रबन्धक महोदय के अनुमोदन उपरान्त सेवा निवृत कर्मचारियों के पुनर्नियोजन संबंधित निर्णय लिया जायेगा, जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों में है।
3. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा पर सेवा निवृत रेल कर्मचारियों को उनके पूर्व अनुभाग पर ही पुनर्नियोजन करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

   विशेष :– रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2010/RC-4/6 dtd.27/09/2012 (RBE No. 109/2012) में दिये गये मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देशों में कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित करें।
4. **रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–**

   कुल 25 पदो (फिटर–12, वेल्डर–06, रिविटर–04, पेन्टर–03) के लिए रिइंगेजमेन्ट की कार्यवाही की जानी है।
5. सेवा निवृत कर्मचारियों के आवेदन पत्र में नाम, पूर्व पदनाम, ट्रेड, अन्तिम टि.सं., अन्तिम वेतन, पीएफ.नं., पीपीओ नं. एवं छाया प्रति सेवानिवृति की तिथि, पूरा पता, मोबाईल नं. व फोटो आदि का विवरण होना आवश्यक है। आवेदन की अन्तिम तारीख 20/12/2018 होगी। केवल इस सूचना के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

निर्माण प्रबन्धक(आर) एवं
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(कार्यवाहक)
कारखाना, कोटा

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य यॉत्रिक इंजीनियर, प.म.रे., जबलपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, प.म.रे., जबलपुर को सूचनार्थ।
3. वे.से.रे.ए.यू./वे.से.रे.म.सं./एससी/एसटी एसो. कारखाना, कोटा।
4- OBC

EI/ WCR/P-WRS/947-RE-APPOINTMENT-2018 (PG-15-16) A